

रजिं0 नं0 एल.बब्लू / एन.पी. ८९० लाइसेन्स नं0 बब्लू० पी0-41 लाइसेन्स ट पोस्ट एण्ड कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 जुलाई, 2000 आषाढ 16. 1922 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1

संख्या 1124 / 64—1—2000—41—97 लखनऊ, 7 जलाई, 2000

अधिसुचना

नं0 आ -- 517

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४ सन् 1994) की धारा 13 के अधीन शिंदि का प्रयोग करके राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची—एक में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।
संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची एक में, प्रविष्टि 78 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी अर्थात

"79 **क**लाल, कलवार, कलार"

आज्ञा से **विनोद चन्द्र पाण्डेय**

सचिव ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 1124/LXIV-1-2000-41-97, dated July, 7, 2000 for general information.

No. 1124/LXIV-1-2000-41-97 Dated Lucknow, July 7, 2000

In exercises of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act No. 4 of 1994) the governor is pleased to make the following amendment in Schedule I to the aforesaid Act:-

AMENDMENT

In schedule I to aforesaid Act after entry, 78, the following entry shall be inserted namely:-

"79-Kalal, Kalwar, Kalar"

By Order VINOD CHANDRA PANDEY Sachiv

.......